पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.
M.A.C.P. No.- 602/2019
1. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व०श्री लक्ष्मी प्रसाद, आयु- 50 वर्ष
2. जगदेव वर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद, आयु- 32 वर्ष
3. रविन्द्र वर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी प्रसाद, आयु- 30 वर्ष, समस्त निवासीगण- ग्राम धवाकर, पोस्ट लहचूरा, तहसील- मऊरानीपुर, जिला- झांसी, हाल निवासीगण- मऊ देहात गेडा भवन के पास, मऊरानीपुर, झांसी

---------याचीगण

बनाम

1. नरेन्द्र रावत पुत्र श्री वीरेन्द्र सहाय रावत, निवासी- पटेल नगर, गरौठा, जिला- झांसी (पंजीकृत स्वामी मोटर साइकिल संख्या- UP93AZ0395)
2. रामकिशोर कुशवाहा पुत्र श्री भोलू, निवासी- ग्राम व पोस्ट परसौआ, तहसील- गरौठा, जिला- झांसी (चालक मोटर साइकिल संख्या- UP93AZ0395)
3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि., कचहरी चौराहा के पास, झांसी (बीमाकर्ता मोटर साइकिल संख्या- UP93AZ0395)

---------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री राशिद खॉ**
विपक्षीगण के अधिवक्ता- **श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव**

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याचीगण श्रीमती लीला देवी, जगदेव वर्मा, रविन्द्र वर्मा मय अधिवक्ता उपस्थित हैं।विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.5,00,000 प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याचीगण संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याचीगण ने दिनांक 1.8.19 को घटित सड़क दुर्घटना में याचीगण के पति एवं पिता लक्ष्मी प्रसाद को आई गम्भीर चोटों के कारण इलाज के दौरान हुई मृत्यू के लिए रु.41,50,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याचीगण के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राशिद खॉ के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन की शिनाख्त श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गयी है।उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है। अन्य किसी विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी।

चूंकि इस प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याचीगण श्रीमती लीला देवी, जगदेव वर्मा व रविन्द्र वर्मा एवं विपक्षी संख्या- तीन **दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**5,00,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या तीन- बीमा कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से याची संख्या- एक, दो एवं तीन क्रमशः 60% एवं 20- 20% भाग प्राप्त करेगे जिसमें से 1/2 भाग प्रत्येक याचीगण के बैंक खाते में जरिये RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जायेगा, जिसे याचीगण नकद प्राप्त करेंगे व 1/2 भाग की धनराशि बैंक की सर्वाधिक लाभकारी सावधि जमा योजना में तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा की जायेगी। उक्त निवेश पर कोई रिण देय नहीं होगा न ही उन्हे कहीं बन्धक किया जा सकेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र इस निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.20 18:38:03 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI